जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 38/2018(RCMS : 2018/00058) एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19 ए. धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर जरिये श्री यासीन खान, प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, रविन्द्र पथ कार्यलय, श्रीगंगानगर बनाम 1. गौतम सारस्वत पुत्र अनन्त राम निवासी 321 ट्रक–यूनियन के पास, वार्ड नं 04, श्रीविजयनगर जिला–श्रीगंगानगर 2. मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स पता दुकान नं 158 ब्लॉक नम्बर बी, कृषि उपज मण्डी समिति, जैतसर तहसील विजयनगर–प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत पुत्र अनन्त राम निवासी 321 ट्रक यूनियन के पास, वार्ड नं 04 श्रीविजयनगर 3, सुमित पत्नि गौतम सारस्वत निवासी 321 ट्रक यूनियन के पास, वार्ड नं 04 श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में ही सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2016, एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जिसका पूर्व में नाम एयू. फाईनेसर्स (इंडिया) लि0 था, का पंजीकरण प्रमाणपत्र, भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के लाईसेंस संख्या एमयूएम 126 प्रमाण पत्र की प्रतियां दिनांक 25.06.2018 को पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई है।

प्रार्थी एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के अभिभाषक श्री भारत भूषण का कथन था कि उक्त बैंक का पूर्व में नाम एयू. फाईनेसर्स (इंडिया) लिमिटेड था जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया। उक्त कम्पनी का नाम अधिसूचना के क्रमांक 40 पर दर्ज है और अब उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है, जिसके परिणाम के रूप में प्रमाण पत्र दिनांक 13 अप्रैल, .2017 की प्रति प्रस्तुत है। भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के अनुसार एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल कर कर लिया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का करोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया है, जो शामिल पत्रावली की गई है। उक्त प्रार्थी बैंक एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा ऋणीयां गौतम सारस्वत, मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स – प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत एवं सुमित्रा को दिनांक 09.02.2016 को 12,00,000/–रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 02 मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स जरिए प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत की अचल दुकान नं 158, ब्लॉक नम्बर–बी, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 30.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम दिनांक 30.10.2017 को कुल 12,60,948 / – रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.11.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अप्रार्थी संख्या 02 मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स जरिए प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत की अचल दुकान नं 158, ब्लॉक नम्बर–बी, कृषि उपज मंडी समिति,जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का पूर्व में नाम एयू फाइनेंशर्स (इंडिया) लिमिटेड था जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत क्रम संख्या 40 पर वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है और अब MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVERNMENT OF INDIA) के Registrar of Companies, Jaipur द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जारी सर्टिफिकेट के अनुसार उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं. एमयूएम :126 दिनांक 20.12.2016 प्रदान किया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक(बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के निर्देश दिये है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसलिए प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण (ऋणियों) के विरूद्ध कार्रवाई करने की अधिकारिता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि उक्त प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण गौतम सारस्वत, मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स – प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत एवं सुमित्रा को दिनांक 09.02.2016 को ऋण सुविधा के रूप में 12,00,000/-(अखरे रूपये बारह लाख रूपये) की ऋण राशि स्वीकृत की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी अप्रार्थी संख्या 02 मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स जरिए प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत एवं अनन्त राम की अचल दुकान नं 158, ब्लॉक नम्बर–बी, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 30.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम से दिनांक 30.10.2017 को कुल 12,60,948/- रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.11.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया था। उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स जरिए प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत की अचल सम्पति दुकान नं 158, ब्लॉक नम्बर–बी, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स जरिए प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत की अचल सम्पत्ति दुकान नं 158, ब्लॉक नम्बर–बी, कृषि उपज मंडी समिति, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर) भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है उक्त सम्पत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.11.2017 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 02.11.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण गौतम सारस्त, मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स – प्रो. श्रवण कुमार सारस्वत एवं अनन्त राम एवं सुमित्रा एवं गारंटर भूपेन्द्र कुमार को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है। परिमाण स्वरूप पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे पेश की है। **अप्रार्थीगण को जारी नोटिस के वितरण की पुष्टि पोस्ट ऑफिस की एडी रसीद से भी होती है। इसके** अतिरिक्त **अप्रार्थीगण के नोटिस पंजाब केसरी एवं दी इंडियन एक्सप्रैस अख़बार में** दिनांक **23.12..2017 को प्रकाशित किये गये है और बंधक रखी गई सम्पत्ति** पर नोटिस **चस्पांदगी की रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं जमानतदार ने धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद** भी ऋण **की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिस** पर कोई **आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए बंधक रखी गई उक्त्त** सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा को प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।**

अतः प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2018 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं 158, ब्लॉक नम्बर–बी, कृषि उपज मंडी समिति, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर) का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर